

**विहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-  
प्रक.

गु0310-4(गु0)3054-04-137/2022 . 2134 /पटना, दिनांक-09/5/2022

संजय दूबे, मा020409  
विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग  
विहार, पटना।

सत्ता में,

महालेखाकार (लेखा एवं एकदारी)  
विहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विषय कोड- 37-3054-04-105-001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अधिकतम लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में कॉलम- 3 एवं 7 में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पूर्ण पुनर्स्थापन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

| Sl. no. | Division | Block    | Name of Scheme                                 | Length (In Km) | Damage Length (In km) | Permanent Restoration Cost. (In Lakhs) |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1       | 2        | 3        | 4                                              | 5              | 6                     | 7                                      |
| 1       | Ar.      | Barahara | Mahuli Ghat to Janki Bazar Sarva Singh ka Tola | 4.2            | 1.175                 | 1.952                                  |
| 2       | Ar.      | Barahara | Kanari Dewadi Tetariya Road to Bahhangama Road | 3.25           | 0.9                   | 9.581                                  |
| Total   |          |          |                                                | 7.450          |                       | 11.533                                 |

- 2 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमोद, आरा योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्य का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित करवाकर एकरागनामा एवं सुरुंगत वित्तीय प्राप्तिनों के पालन उपरान्त पूर्णतः सतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेग। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ( कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

*20/5/2022*  
*Shuman*

*8/5/2022*



Scanned with Oken Scanner

3. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संघिका संख्या- मु0अ0-4(मु0) 3054 -04-147 / 2022 में दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त है।
4. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
5. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक गद की संभाव्यता की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. एकरार-नामा के पूर्ण कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में ध्वस्त कार्य भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अवकाशित नहीं हों।
7. विहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में वजेट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर विभाग के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकारसी की जायेगी।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों को अमर्याद पालन किया जायेगा तथा विहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
9. यह राशि उसी गद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य गद में नहीं।
10. प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
12. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संघिका-मु0अ0-4(मु0)3054-04-137 / 2022 के पूर्व- 38/दि0 पर दिनांक - 20.12.21 को प्राप्त है।
14. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना दिनांक 5.5.22 को संघिका संख्या - मु0अ0-4(मु0)3054-04-137 / 2022 में अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरामजन

*[Signature]*

(सचिव द्वा)  
विशेष सचिव

*[Signature]*  
6